अनुदान संख्या 35 – राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अंतरण
GRANT No. 35–TRANSFERS TO STATE AND UNION TERRITORY GOVERNMENTS

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*					
मूल	*Original*	*29406,50,00*		*29602,11,00*	*28440,42,31*	*–1161,68,69*
पूरक	*Supplementary*	*195,61,00*				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*1161,68,69*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	28924,79,00		50165,21,00	49442,83,99	–722,37,01
पूरक	Supplementary	21240,42,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					722,35,91
पूंजीगत:	**Capital:**					
प्रभारित-	*Charged–*					
मूल	*Original*	*5000,00,00*		*5700,00,00*	*4700,00,00*	*–1000,00,00*
पूरक	*Supplementary*	*700,00,00*				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*1000,00,00*

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें *(116168.69 लाख रु.)* दिसंबर, 2006 में प्राप्त किए गए *19561.00 लाख रु.* के पूरक *विनियोग* से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत *विनियोग* का 4 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings *(Rs.116168.69 lakhs)* exceeded the supplementary *appropriation* of *Rs.19561.00 lakhs* obtained in December, 2006 and constituted 4 percent of total sanctioned *appropriation*.

Savings/excess occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601" *राज्य सरकारों को सहायता अनुदान*	Major Head "3601" *Grants-in-aid to State Governments*				
मू.	*O.*	*2940650.00*			
पू.	*S.*	*19561.00*	*2844042.31*	*2844042.31*	. .
पु.	*R.*	*–116168.69*			

(I) *"योजनेतर अनुदान - संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अधीन अनुदान''* के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

(का) *"स्थानीय निकायों के लिए अनुदान''- 28261.49 लाख* रु. की बचत (*500000.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) स्थानीय निकायों को अनुदानों संबंधी मार्गनिर्देशों में विहित शर्तें पूरी न किए जाने की वजह से कुछ राज्यों द्वारा अनुदान जारी न किए जाने के कारण हुई।

(खा) *"शिक्षा क्षेत्रा के लिए सहायता अनुदान''- 9452.50 लाख* रु. की बचत *(184451.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) झारखंड और पश्चिम बंगाल के अनुदान जारी किए जाने के हकदार न होने से उनसे अपेक्षित सूचना प्राप्त न होने के कारण हुई।

(गा) *"स्वास्थ्य क्षेत्रा के लिए सहायता अनुदान''- 3199.50 लाख* रु. की बचत (*104471.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) झारखंड से अपेक्षित सूचना प्राप्त न होने के कारण हुई।

(घा) *"सड़कों और सेतुओं के रख-रखाव के लिए सहायता अनुदान''- 39254.50 लाख* रु. की बचत (*375000.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई; और

(ङ) *"सार्वजनिक भवनों के रख-रखाव के लिए सहायता अनुदान''- 32483.00 लाख* रु. की बचत (*125000.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई।

(I) Under *"Non-Plan Grants-Grants under the Proviso to Article 275(1) of the Constitution"* - savings occurred under the following heads :-

(A) *"Grants for Local Bodies"* -saving of *Rs.28261.49 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.500000.00 lakhs*) was due to some States have not been released grants owing to non - fulfillment of conditions laid down in the guidelines on Grants to Local Bodies.

(B) *"Grants-in-aid for Education Sector"* - saving of *Rs.9452.50 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.184451.00 lakhs*) was due to non-receipt of requisite information from Jharkhand and West Bengal which were not entitled for releases of grants.

(C) *"Grants-in-aid for Health Sector"* -saving of *Rs.3199.50 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.104471.00 lakhs)* was due to non-receipt of requisite information from Jharkhand.

(D) *"Grants-in-aid for Maintenance of Roads and Bridges"* - saving of *Rs.39254.50 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.375000.00 lakhs*); and

(E) *"Grants-in-aid for Maintenance of Public Buildings"* - saving of *Rs.32483.00 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.125000.00 lakhs*).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें झारखंड से अपेक्षित सूचना प्राप्त न होने और कुछ राज्यों को पात्रा न पाए जाने के कारण हुईं।

(चा) *"वनों के रख-रखाव के लिए सहायता अनुदान"- 500.05 लाख* रु. की बचत (*20000.00 लाख* रु. के स्वीक्त *विनियोग* की तुलना में) दो राज्य सरकारों से कार्य योजना के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(छा) *"विरासत के संरक्षण के लिए सहायता अनुदान" - 652.32 लाख* रु. की बचत (*15625.00 लाख* रु. के स्वीक्त *विनियोग* की तुलना में) गोवा की राज्य सरकार से कार्य योजना के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(जा) *"राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए सहायता अनुदान"- 50403.10 लाख* रु. की बचत (*176500.00 लाख* रु. के स्वीक्त *विनियोग* की तुलना में) कुछ राज्य सरकारों से कार्य योजना के प्राप्त न होने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें *"योजनेतर अनुदान - संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अधीन अनुदान (प्रभारित)"* के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(I) *"सेवाओं के उन्नयन और विशेष समस्याओं के लिए अनुदान" - 4013.57 लाख* रु. का अधिक व्यय (*9869.00 लाख* रु. के पूरक *विनियोग* की तुलना में) इस कारण से हुआ कि सरकार ने राज्यों द्वारा दिए गए ग्यारहवें वित्त आयोग के अनुदानों के उपयोग प्रमाण-पत्रों को 31.3.2005 के बाद स्वीकार करने का निर्णय ले लिया था और शेष 2005-06 में उपलब्ध नहीं कराया जा सका और उसे 2006-07 में जारी करना पड़ा।

(II) *"आपदा राहत निधि को अंशदान"- 44024.20 लाख* रु. का अधिक व्यय (*308082.00 लाख* रु. के स्वीक्त *विनियोग* की तुलना में) 2005-06 के लिए दूसरी किस्त कुछ राज्यों को जारी किए जाने और 2007-08 की 25 प्रतिशत राशि कुछ राज्यों को अग्रिम रूप से जारी किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings under the above two heads were due to non-receipt of requisite information from Jharkhand and some States not being found eligible.

(F) *"Grants-in-aid for Maintenance of Forests"* - saving of *Rs.500.05 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.20000.00 lakhs*) was due to non-receipt of action plan from two State Governments.

(G) *"Grants-in-aid for Heritage Conservation"* - saving of *Rs.652.32 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.15625.00 lakhs*) was due to non-receipt of action plan from State Government of Goa.

(H) *"Grants-in-aid for States Specific Needs"* - saving of *Rs.50403.10 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.176500.00 lakhs*) was due to non-receipt of action plan from several State Governments.

2. The above savings were partly offset by excess under *"Non-plan Grants – Grants under the Proviso to Article 275(1) of the Constitution (Charged)"* under the following heads:-

(I) *"Grants for upgradation of Services and special problems"* - excess of *Rs.4013.57 lakhs* (against the supplementary *appropriation* of *Rs.9869.00 lakhs*) was due to the decision of the Government to accept utilisation certificates of Eleventh Finance Commission grants given by the States after 31.3.2005 as the balance could not be provided in 2005–06 and had to be released in 2006–07.

(II) *"Contribution to Calamity Relief Fund"* - excess of *Rs.44024.20 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.308082.00 lakhs*) was due to release of second installment for 2005–06 to some States and release of 25 percent of 2007–08 in advance to some States.

3. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2245" प्राकतिक विपत्ति के कारण राहत	Major Head "2245" Relief on Account of Natural Calamities				
मू.	O.	300000.00			
पू.	S.	100000.00	396205.07	396205.07	. .
पु.	R.	–3794.93			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	2559978.00			
पू.	S.	793630.00	3285167.02	3285166.25	–0.77
पु.	R.	–68440.98			

(I) 1000.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "3601" - "योजनेतर अनुदान - अन्य प्रशासनिक सेवाएं - केंद्रीय अधिनियमों और विनियमों के प्रशासन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अदायगी - वैट से संबंधित व्यय के लिए राज्यों को अनुदान" के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा जिसके कारण इस राशि को संशोधित अनुमान चरण पर अभ्यर्पित कर दिया गया और आवश्यकता को मांग सं. 41 - राजस्व विभाग से पूरा किया गया।

(II) मुख्य शीर्ष "2245" - "सामान्य - राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राज्यों को सहायता - गंभीर स्वरूप की आपदाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राज्यों को सहायता" के अंतर्गत 3794.93 लाख रु. की बचत (मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 50000.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 200000.00 लाख रु. के कुल स्वीकत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय आपदा के संबंध में राज्य सरकारों को कम सिफारिश किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "3601" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(I) Provision of Rs 1000.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "3601" - "Non-Plan Grants" - Other Administrative Services-Payment to States/Union Territories for Administrations of Central Acts and Regulations-Grants to States for VAT related expenditure" - due to surrender of the amount at revised estimates stage and the requirement was met from the Demand No. 41 - Department of Revenue.

(II) Under Major head "2245" - "General - Assistance to States from National Calamity Contingency Fund-Assistance to States from National Calamity Contingency Fund for Calamities of severe nature" - saving of Rs.3794.93 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.200000.00 lakhs including supplementary grant of Rs.50000.00 lakhs obtained in March, 2007) was due to less recommendation to State Governments on account of National Calamity.

(III) Under Major Head "3601" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''योजनेतर अनुदान - सामाजिक सेवाएं - धार्मिक स्थलों, मंदिरों आदि का रख-रखाव - स्वर्ण मंदिर परिसर के विकास के लिए सहायता''- 1375.00 लाख रु. की बचत (2750.00 लाख रु. के स्वीकत प्रावधान की तुलना में) गह मंत्रालय से कम सिफारिशें प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) ''राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान''-

(क) ''बाह्य सहायताप्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता''- 95567.54 लाख रु. की बचत (अगस्त, 2006 में प्राप्त किए गए 300000.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 369700.00 लाख रु. के कुल स्वीकत प्रावधान की तुलना में) दुतरफा आधार पर और अतिरिक्त केंद्रीय सहायता व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों को निधियां जारी करने के लिए बजट में समतुल्य कर्ज संघटक कम होने के कारण हुई।

(ख) ''विशेष योजना सहायता''- 43666.80 लाख रु. की बचत (216000.00 लाख रु. के स्वीकत प्रावधान की तुलना में) योजना आयोग द्वारा किए गए आबंटन में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ग) ''किशोरियों के लिए पोषण कार्यक्रम''- 9829.62 लाख रु. की बचत (16277.00 लाख रु. के स्वीकत प्रावधान की तुलना में) महिला और बाल विकास विभाग से कम सिफारिशें प्राप्त होने के कारण हुई।

(घ) ''राष्ट्रीय ई-अभिशासन कार्य योजना''- 17824.00 लाख रु. की बचत (30000.00 लाख रु. के स्वीकत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय ई-अभिशासन कार्य योजना के अंतर्गत सूचना तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रस्तावों को प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(ङ) ''जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन''- 68962.32 लाख रु. की बचत (459593.00 लाख रु. के स्वीकत प्रावधान की तुलना में) शहरी विकास

(A) "Non-Plan Grants-Social Services - Upkeep of Shrines, Temples etc.-Assistance for Development of Golden Temple Complex" - saving of Rs.1375.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2750.00 lakhs) was due to less recommendations received from Ministry of Home Affairs.

(B) "Grants for State Plan Schemes- Block Grants" -

(a) "Additional Central Assistance for externally aided projects" - saving of Rs.95567.54 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.369700.00 lakhs including supplementary grant of Rs.300000.00 lakhs obtained in August, 2006) was due to less matching loan component in the budget for release of funds to the States under back to back basis and under the Additional Central Assistance route.

(b) "Special Plan Assistance" - saving of Rs.43666.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.216000.00 lakhs) was due to cut in allocation made by the Planning Commission.

(c) "Nutrition Programme for Adolescent Girls (NPAG)" - saving of Rs.9829.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.16277.00 lakhs) was due to less recommendations received from Department of Women and Child Development.

(d) "National E-Governance Action Plan (NEGAP)" - saving of Rs.17824.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.30000.00 lakhs) was due to non-submission of proposals by the Ministry of Information and Technology under National E-Governance Action Plan.

(e) "Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission" -saving of Rs.68962.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.459593.00 lakhs) was due to less

मंत्रालय से कम प्रस्ताव प्राप्त होने और साथ ही प्रथम पूरक मांग के समय 30.00 करोड़ रुपए मांग सं. 99 - शहरी विकास मंत्रालय को और 14.00 करोड़ रुपए मांग सं. 102 - आवास एवं शहरी गरीबी निवारण मंत्रालय को अंतरित किए जाने के कारण हुई।

proposal received from Ministry of Urban Development and also due to transferring of Rs.30.00 crores to demand No.99 - Ministry of Urban Development and Rs.14.00 crores to demand No.102 - Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation at the time of first supplementary.

(च) ''सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम''- 14065.50 लाख रु. की बचत (30400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना आयोग से कम सिफारिशें प्राप्त होने के कारण हुई।

(f) "Tsunami Rehabilitation Programme (TRP)" - saving of Rs.14065.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.30400.00 lakhs) was due to less recommendations received from the Planning Commission.

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "3601" - "Grants for State Plan Schemes-Block Grants" - under the following heads:-

(I) ''सामान्य केंद्रीय सहायता'' - 9386.98 लाख रु. का अधिक व्यय (अगस्त, 2006 और दिसंबर, 2006 में प्राप्त किए गए 310000.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 1401661.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्ष 2005-06 से संबंधित जमा अदायगी जारी किए जाने के कारण हुआ।

(I) "Normal Central Assistance" - excess of Rs.9386.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1401661.00 lakhs including supplementary grant of Rs.310000.00 lakhs obtained in August, 2006 and December, 2006) was due to release of arrears payment relating to the year 2005–06.

(II) ''अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता'' - 108716.40 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) राज्य वार्षिक योजना 2006-07 जिसके लिए प्रारंभिक चरण पर कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया था, के लिए निधि जारी करने के लिए योजना आयोग से सिफारिशें प्राप्त होने के कारण हुआ।

(II) "Additional Central Assistance for Other Projects" - excess of Rs.108716.40 lakhs (against nil provision) was due to recommendations received from the Planning Commission to release the fund for States Annual Plan for 2006–07 for which no budget provision was made at initial stage.

(III) ''त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम'' - 37171.30 लाख रु. का अधिक व्यय (65000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिक प्रोत्साहन के लिए राज्यों के पात्रा बनने और इसलिए जारी किए जाने के लिए विद्युत मंत्रालय से अधिक सिफारिशें प्राप्त होने के कारण हुआ।

(III) "Accelerated Power Development Programme (APDP)" - excess of Rs.37171.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.65000.00 lakhs) was due to States becoming eligible for more incentive and therefore more recommendations from Ministry of Power for release.

(IV) ''अन्नापूर्ण सहित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम'' - 15000.00 लाख रु. का अधिक व्यय (दिसंबर, 2006 में प्राप्त किए गए 90000.00 लाख रु. के पूरक

(IV) "National Social Assistance Programme including Anapurna" - excess of Rs.15000.00 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.233097.00 lakhs including supplementary grant

अनुदान सहित 233097.00 लाख रु. के कुल स्वीकत प्रावधान की तुलना में) वद्धावस्था पेंशन 75.00 रु. से बढ़ाकर 200.00 रु. प्रति माह कर दिए जाने के कारण हुआ।

of Rs.90000.00 lakhs obtained in December, 2006) was due to enhancement of the old age pension from Rs.75.00 to Rs.200.00 per month.

(V) "त्वरित सिंचाई हितलाभ कार्यक्रम और अन्य जल संसाधन कार्यक्रम" - 13599.37 लाख रु. का अधिक व्यय (235000.00 लाख रु. के स्वीकत प्रावधान की तुलना में) त्वरित सिंचाई हितलाभ कार्यक्रम के लिए जल संसाधन मंत्रालय द्वारा संस्तुत अधिक प्रस्तावों के कारण हुआ जिनमें प्रधान मंत्री के पैकेज के अंतर्गत सूखा प्रवण जिलों के निध ीयन संबंधी प्रस्ताव शामिल थे।

(V) "Accelerated Irrigation Benefit Programme and other Water Resources Programme" -excess of Rs.13599.37 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.235000.00 lakhs) was on account of increased proposals recommended by Ministry of Water Resources for Accelerated Irrigation Benefit Programme which included proposals for funding drought prone Districts under the PM's package.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईः-

5. In the *charged* portion of the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "7601" *राज्य सरकारों को कर्ज तथा उधार (प्रभारित)*	Major Head "7601" *Loans and Advances to State Governments (Charged)*					
मू.	*O.*	*500000.00*				
पू.	*S.*	*70000.00*		*470000.00*	*470000.00*	. .
पु.	*R.*	*–100000.00*				

(I) *100000.00 लाख रु. का विनियोग "अर्थोपाय अग्रिम - अन्य अर्थोपाय अग्रिम"* के अंतर्गत के कुछ राज्य सरकारों से अग्रिम संबंधी प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of *Rs.100000.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under *"Ways and Means Advances - Other Ways and Means Advances"* - due to non-receipt of proposals for advances from some State Governments.